संख्या-13/2026/ए029-20262027-001-135(2037543)

प्रेषक,

अवनीन्द्र कुमार,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

खाद्य एवं रसद विभाग,

जवाहर भवन, लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 02 अप्रैल, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-2027 के अनुदान संख्या-21 के "लेखाशीर्षक-4408-खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्न पूर्ति योजना-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति " योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए अन्न पूर्ति योजना के अन्तर्गत धनराशि रू0 1548000.00 लाख (एक खरब चौवन अरब अस्सी करोड मात्र) का प्राविधान किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्षक-4408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्नपूर्ति योजना-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में धनराशि रू0 1548000.00 लाख (एक खरब चौवन अरब अस्सी करोड मात्र) का प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि में से शत प्रतिशत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए अधोलिखित विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

अनुदान संख्या-21 (धनराशि लाख रूपये में)

"लेखाशीर्षक-4408 -खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय- 01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03- अन्न पूर्ति योजना-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति "	1548000.00
योग	1548000.00

(एक खरब चौवन अरब अस्सी करोड)

3- उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि का उपयोग केवल चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में नयी मदों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय। इस आवंटित धनराशि में से मुख्यालय के व्यय हेतु आवश्यक धनराशि रोककर शेष अपने अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यकतानुसार धनराशि को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तत्काल आवंटित कर दें तथा आवंटन की प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय। जनपद स्तर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी होने की दशा में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

4- उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलो/मदों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशो के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

5- शासकीय स्तर पर मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की प्रतिपूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड ऑफ फाइनेन्सियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत होने वाले व्यय को वहन करने हेतु कोषागार से धनराशि के आहरण की माहवार फेजिंग अनिवार्य रूप से विभाग के कार्य की प्रकृति के अनुसार कर लिया जाय। जहां तक संभव हो व्यय की फेजिंग समान रूप से प्रतिमाह पूरे वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए समान रूप से की जाय। व्यय की फेजिंग वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 एवं खाद्य तथा रसद अनुभाग-3 को उपलब्ध करायी जाय। स्वीकृतियों/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागारसे नही किया जायेगा। ताकि राज्यस्तर पर कैश फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

7- आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16।94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8- विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय इसलिये विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी अपने स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की अनुश्रवणकी नियमित व्यवस्था करेंगे, तथा यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो अथवा किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर की संभावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 के संज्ञान में लाया जाय।

9- आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर वित्तीय नियमों/प्रक्रियाओं तथा अन्य सुसंगत नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नही किया जायेगा।

10- जितनी भी वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाय तथा जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमे स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय, उसमे स्पष्ट रूप से पूर्ण लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) के साथ संबंधित अनुदान संख्या/मतदेय/भारित का उल्लेख अवश्य किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11- बी0एम0-8 तथा बी0एम0-13 पर प्रतिमाह की 10 तारीख तक नियत रूप से वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 को सूचना उपलब्ध करायी जाय।

12- इस शासनादेश के अर्न्तगत आवंटित होने वाली धनराशि का आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार में बिल प्रस्तुत करके आहरण किया जायेगा तथा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,54,80,00,00,000 (रुपये एक खरब चौवन अरब अस्सी करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 021 लेखाशीर्षक 4408011010300 अन्न पूर्ति योजना मानक मद 43 सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

अवनीन्द्र कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी लेखा, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

अवनीन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in